

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-भवन/स्था0-पी0-03-पदस्थापन-01/02(अंश-2).....55...../ पटना, दिनांक:- 8/2/18

श्री अजीत कुमार राम (बि0स0से0), उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम-84 के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश विलोपित समझे जायेंगे।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।




(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1252 (अ)

पटना, दिनांक:- 8/2/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना/सहायक आयुक्त, लेखा प्रशासन, वित्त विभाग, पंत भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1252 (अ)

पटना, दिनांक:- 8/2/18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना को प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु0-यथोक्त।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1252 (अ)

पटना, दिनांक:- 8/2/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण/मुख्य वास्तुविद्/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

Niraf